प्रेषक,

गिरिजेश कुमार,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 अनुदान संख्या- 14 में आयोजनागत मद में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि रू. 15.40 लाख अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5/1292/2019-5/44/2019 दिनांक 26.12.2019 एवं पत्र संख्या- 5/112/202055/44/2019 दिनांक 24.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 1000.000 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1363/33-3-2019-100(12)/2015 दिनांक 02.07.2019 द्वारा धनराशि रू. 984.40 लाख अवमुक्त की गई थी। उक्त अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू. 15.40 लाख (रू. पन्द्रह लाख चालीस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपद-लार की ग्राम पंचायत-देवरिया के विकास खण्ड-सुतावर में पंचायत भवन निर्माण के लिए श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) पंचायत भवन निर्माण के लिए अनुमन्य धनराशि रू. 17.46 लाख के सापेक्ष रू. 15.40 लाख अवमुक्त किया जा रहा है। अवशेष धनराशि का वहन ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही आहरण वर्ष 2019-20 की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में 2019-20 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा इस धनराशि को ग्राम पंचायत निधि में जमा कराकर व्यय किया जायेगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता होने पर ही ग्राम पंचायत को धनराशि अवमुक्त की जाय एवं मानचित्र सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(4) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-101-पंचायती राज-08-बहु उद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना) -24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(6) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(7) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पूर्व से संचालित किसी अन्य योजना से आच्छादित /स्वीकृत न हो और न ही किसी अन्य प्रस्तावित योजना से आच्छादित /स्वीकृत हो।

(8) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दृष्टिगत एक मुश्त किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टयों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(11) बहु उददेशीय पंचायत भवन के निर्माण की निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य की देखरेख एवं उसकी समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जनपद का नोडल अधिकारी प्रति माह निर्माण की प्रगति से शासन/निदेशक पंचायतीराज को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा।

2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 व अन्य संगत शासनादेशों में प्रावधानित व्यवस्थान्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संबंधित कोषाधिकारी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2

5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।